

No. सीसीएल/महाप्रबंधक(अधिस्था)/प्रोन्नति/वि०एवंया०/ई5-ई6/25/4097-115

दिनांक: 12/03/2025

कार्यालय आदेश/ OFFICE ORDER

सीआईएल के कार्यालय आदेश संख्या CIL/C-5A(CC)/Prom.E5-E6_E&M/2024/B-177 दिनांक-26.02.2025 द्वारा ई. एंड एम. संवर्ग के प्रबन्धक/ई5 ग्रेड के निम्नलिखित अधिकारी का पदोन्नति ₹ 90,000-2,40,000/- के वेतनमान में वरीय प्रबंधक (ई एंड एम)/ई 6 ग्रेड में के पद पर किया गया एवं उनके नाम के समक्ष उल्लिखित सीईएल की अनुषंगी कंपनी में स्थांतरण किया गया। एतद्वारा सीसीएल से उन्हें तत्काल प्रभाव से विरमित किया जाता है।

SL	EIS No.	Name	Place of Posting	Comp. on Promotion
01.	90280603	Sekhar Suman	Rajrappa	BCCL

अपने वर्तमान कार्यस्थल से विरमित होने पर, श्री शेखर सुमन **अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीसीसीएल** को रिपोर्ट करेंगे।

पदोन्नति पर, उपरोक्त अधिकारी एक वर्ष की अवधि के लिए या सेवानिवृत्ति की तारीख तक, जो भी पहले हो, परिवीक्षा पर होंगे।

उपर्युक्त अधिकारी की पदोन्नति उस तारीख से प्रभावी होगी जब वे संबंधित सहायक कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करेंगे और वास्तव में पदोन्नति पर उच्च पद का प्रभार ग्रहण करेंगे।

संबन्धित अधिकारियों को सीआईएल द्वारा आदेश जारी करने की तारीख से **साठ(60) दिनों** के भीतर प्रोन्नत पद पर पदभार ग्रहण करना है अन्यथा पदभार ग्रहण न करने पर प्रोन्नति आदेश रद्द किया जा सकता है।

कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिनों में PRIDE भरना संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

यह आदेश सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति से किया जाता है।

निधि खलखो
12/3/25
उप-प्रबंधक (का- अधि. स्था.)

वितरण ई ऑफिस द्वारा :

- निदेशक (तकनीकी/ संचालन)/ निदेशक (परियोजना एवं योजना)/ निदेशक (कार्मिक)/ निदेशक (वित्त)/, सीसीएल, रांची।
- सीएमडी के तकनीकी सचिव, सीसीएल, रांची।
- सीएमडी के तकनीकी सचिव, बीसीसीएल।
- महाप्रबंधक(कार्मिक), सीआईएल, कोलकाता।
- महाप्रबंधक, रजरप्पा क्षेत्र।
- महाप्रबंधक(ई.एंड एम.)/(सतर्कता)/(अधि. स्था.)/(सामाजिक सुरक्षा)/(प्रणाली)/प्रशासन सीसीएल, रांची।
- स्टाफ ऑफिसर(कार्मिक)/क्षेत्रीय वित्त प्रबन्धक, रजरप्पा/ क्षेत्र।
- मुख्य प्रबंधक/ वरीय प्रबन्धक (वित्त - ईपीआर)/(स्था.), सीसीएल, रांची।
- प्रबंधक (कार्मिक), सीएमडी सचिवालय, सीसीएल, रांची।
- प्रबन्धक/ उप-प्रबंधक (कार्मिक - अधि. स्था.), सीसीएल, रांची - आवश्यक अद्यतनीकरण हेतु।

11. प्रबंधक (वित्त - सीएमपीएफ), सीसीएल, रांची।
12. सहायक. प्रबंधक (कार्मिक - अधि. स्था./सीआर), सीसीएल, रांची - कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
13. संबंधित अधिकारी।
14. व्यक्तिगत फ़ाइल।